



कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा-324005

क्रमांक- एफ 9()परीक्षा/कोविको/2021/9994

दिनांक - 16.03.2021

सेमेस्टर परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा-2021 हेतु ऑनलाइन परीक्षा/नामांकन आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी विज्ञप्ति

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा वर्ष 2021 की आयोजित की जाने वाली स्नातक भाग-प्रथम, द्वितीय व तृतीय, स्नातकोत्तर-पूर्वाद्ध व उत्तराद्ध, बी.ए./बी.एससी./बी.कॉम. एडिशनल स्नातक मय समस्त व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (मय बी. एड., एम.एड. इत्यादि पाठ्यक्रम) के नियमित/पूर्व छात्र/स्वयंपाठी अभ्यर्थियों हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र निम्नानुसार भरवाया जाना निर्धारित किया गया है:-

नामांकन/पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन भरने की तिथि	नामांकन/पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क राशि रु. 100/- के साथ ऑनलाइन भरने की तिथि	महाविद्यालय/विभाग में परीक्षा आवेदन पत्र मय चालान की हार्डकॉपी प्रस्तुत करने की तिथि
17.03.2021 से 26.03.2021 तक	27.03.2021 से 02.04.2021 तक	17.03.2021 से 06.04.2021 तक

समस्त सेमेस्टर -प्रथम, तृतीय एवं पंचम् की परीक्षाओं के नियमित/पूर्व छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र निम्नानुसार भरवाया जाना निर्धारित किया गया है:-

नामांकन/पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन भरने की तिथि	नामांकन/पात्रता एवं परीक्षा आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क राशि रु. 100/- के साथ ऑनलाइन भरने की तिथि	महाविद्यालय/विभाग में परीक्षा आवेदन पत्र मय चालान की हार्डकॉपी प्रस्तुत करने की तिथि
17.03.2021 से 24.03.2021 तक	25.03.2021 से 30.03.2021 तक	17.03.2021 से 02.04.2021 तक

* विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2021 के लिये ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले सभी परीक्षार्थी (स्नातक भाग-प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वाद्ध तथा समस्त सेमेस्टर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के) नियमित/पूर्व छात्र/स्वयंपाठी छात्र अपना परीक्षा आवेदन पत्र (Hardcopy) सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग से अग्रेषित करवाकर निर्धारित तिथि तक मय दस्तावेजों के जमा करना सुनिश्चित करें।

** स्नातक भाग-द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तराद्ध की परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिये ऑनलाइन भरे जाने वाले परीक्षा आवेदन पत्रों की (Hardcopy) परीक्षार्थी प्रिन्ट करके महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र पर जमा नहीं करवानी है अपितु अपने पास ही सुरक्षित रखें। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आपसे परीक्षा आवेदन पत्र की प्रति मय दस्तावेजों के मांगी जा सकती है।

***निर्धारित तिथि के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि में वृद्धि नहीं की जावेगी। अतः समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भर कर सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग में जमा करना सुनिश्चित करें।

परीक्षा सम्बन्धित अन्य जानकारी एवं परीक्षा समय सारणी हेतु छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट अवश्य देखते रहें।

विशेष महत्वपूर्ण निर्देश:-

1. परीक्षा आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी विस्तृत निर्देश एवं प्रक्रिया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uok.ac.in अथवा www.univexam.org/Uok/ पर उपलब्ध है। परीक्षा से सम्बन्धित सभी जानकारियों हेतु छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
2. परीक्षा शुल्क जमा कराने सम्बन्धी चार्जज :- समस्त छात्र निर्धारित परीक्षा शुल्क निम्नानुसार ICICI Bank के ऑनलाइन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से निम्नानुसार परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं:-

Service Name	Charges (In Rs)
Online Payment of Fees through Website of University of Kota (On ZERO Charges)	Through Debit Card of any bank : ZERO Charges per transaction
	Through Net Banking of any bank : ZERO Charges per transaction

Process flow: Student can visit University Website and click on "ONLINE PAYMENT" tab. The student will be able to pay through any bank debit card or net banking of any bank at ZERO Charges. After successful transaction of fee student can take the print out of their examination form from the University Website. The filled examination form shall be deposited with the respective examination centre/college/department.

3. जिन छात्रों को परीक्षा आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र पर जमा करवाने हैं, वे ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा कराये गये परीक्षा शुल्क विवरण (टोकन नं., जमा राशि व दिनांक) परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी की दोनों प्रतियों में निर्धारित स्थान पर अंकित कर परीक्षार्थी अपने हस्ताक्षर करें तथा हार्ड कॉपी के साथ परीक्षा शुल्क जमा कराने के चालान की मूल प्रति संलग्न करें।
4. ऑनलाईन शुल्क जमा करने के उपरान्त तकनीकी कारणों से ट्रांजेक्शन फेल/Transaction status clear नहीं होने की स्थिति में कम से कम 48 घण्टे तक दुबारा भुगतान नहीं करें। 48 घण्टे के उपरान्त वेबसाइट पर जाकर अपना चालान नं. प्रविष्ट कर चालान वेरिफाई करने के उपरान्त फार्म प्रिन्ट किया जा सकता है। जिन परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र की ऑनलाईन शुल्क जमा करवाते समय परीक्षा शुल्क खाते से कट जाती है और परीक्षा आवेदन पत्र का प्रिन्ट नहीं निकलता है, ऐसे परीक्षार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उल्लेखित बैंक के मोबाईल नम्बर पर सम्पर्क कर अपनी समस्या का निदान करवा सकते हैं।
5. स्नातक भाग-प्रथम/स्नातक सेमेस्टर-प्रथम की परीक्षा हेतु आवेदन करने वाले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से वर्ष 2017, 2018, 2019 एवं 2020 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपनी 12वीं कक्षा का रोल नं. प्रविष्ट कर परीक्षा आवेदन पत्र भरेगें। स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की परीक्षा में प्रथम बार प्रविष्ट होने वाले छात्र फ्रेश फार्म भरेगें।
6. स्नातक (कला/विज्ञान) परीक्षा में जिन स्वयंपाठी परीक्षार्थियों ने प्रायोगिक विषय का चयन किया है/करेंगे, उन्हें निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रायोगिक विषयों में प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण करवाकर निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करवाना होगा। तत्पश्चात् प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित महाविद्यालयों में सम्पर्क करें, अन्यथा वे प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इसके लिये विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से कोई सूचना परीक्षार्थी को नहीं दी जायेगी।
7. परीक्षा 2016, 2017, 2018, 2019 एवं 2020 में प्रविष्ट हो चुके अभ्यर्थी अपना ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए पिछली कक्षा के रोल नं. को प्रविष्ट कर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे।
8. अंक सुधार हेतु अध्यादेश संख्या 169(E), 169(E-I), 169(E-II), 169(D) तथा 179 के अन्तर्गत ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरकर मय दस्तावेजों के सम्बन्धित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र पर जमा करवाना सुनिश्चित करें। ऐसे परीक्षार्थी जिनके परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन वांछित है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे फ्रेश फार्म भरते हुए संशोधन करें। परीक्षार्थी परीक्षा फार्म की हार्डकॉपी की दो प्रतियों के साथ, शुल्क रसीद की मूल प्रति संलग्न कर, अन्य आवश्यक दस्तावेजों यथा-अंकतालिकाओं की प्रतियां, माईग्रेशन सर्टिफिकेट इत्यादि सहित शुल्क जमा कराने के पश्चात्, निर्धारित अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र/विभाग में जमा करावें। पूर्व विद्यार्थी (Ex-Student) परीक्षा फार्म को उसी महाविद्यालय/विभाग में जमा करावें जहाँ वे नियमित (Regular) परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण घोषित हुए थे। सभी परीक्षार्थी अपना परीक्षा/नामांकन/पात्रता आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग/महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र पर जमा करावें। परीक्षार्थी द्वारा डाक से विश्वविद्यालय में भेजा गया परीक्षा/नामांकन/पात्रता आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
9. विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2021 के लिये ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने वाले सभी परीक्षार्थी (स्नातक भाग-प्रथम/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध तथा समस्त सेमेस्टर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के) नियमित/पूर्व छात्र/स्वयंपाठी छात्र अपना परीक्षा आवेदन पत्र (Hardcopy) सम्बन्धित महाविद्यालय/विभाग से अग्रेषित करवाकर निर्धारित तिथि तक मय दस्तावेजों के जमा करना सुनिश्चित करें।
10. स्नातक भाग-द्वितीय/तृतीय/स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिये ऑनलाईन भरे जाने वाले परीक्षा आवेदन पत्रों की (Hardcopy) परीक्षार्थी प्रिन्ट करके महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र पर जमा नहीं करवानी है अपितु अपने पास ही सुरक्षित रखें। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय द्वारा आपसे परीक्षा आवेदन पत्र की प्रति मय दस्तावेजों के मांगी जा सकती है।
11. प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक को अपने महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों द्वारा भरे गये ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्रों की कक्षावार सूची कॉलेज पैनल पर श्रेणीवार उपलब्ध करवायी जावेगी।
12. विश्वविद्यालय परीक्षा आवेदन पत्र हेतु परीक्षा एवं नामांकन/पात्रता आवेदन शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत आई.सी. आई.सी.आई. पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा करवाया गया शुल्क ही मान्य होगा, ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करवा सकते हैं। अन्य किसी बैंक में जमा करवाया गया परीक्षा शुल्क मान्य नहीं होगा, ना ही लौटाया जावेगा। निर्धारित ऑनलाईन पेमेन्ट गेटवे के अलावा अन्य किसी माध्यम से जमा करवाया गया परीक्षा शुल्क (जैसे-नकद/बैंक ड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर आदि) के द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।
13. परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है, कि वह अपना परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व स्वयं अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें एवं परीक्षा आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरने के पश्चात् ही परीक्षा शुल्क जमा करावें। चूंकि परीक्षार्थी द्वारा स्वयं की गलती से जमा करवाया गया परीक्षा शुल्क लौटाया (Non-Refundable) नहीं जावेगा।

14. सम्बन्धित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित वैकल्पिक विषयों का एक बार चयन करने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में बदलाव सम्भव नहीं होगा।
15. परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर आधार नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है।
16. विश्वविद्यालय नियमानुसार नियमित अनुत्तीर्ण छात्र, पूर्व छात्र (Ex-Student) के रूप में उसी महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे जहां वे नियमित छात्र थे तथा स्वयंपाठी अनुत्तीर्ण छात्र स्वयंपाठी (Non-Collegiate) के रूप में ही परीक्षा आवेदन पत्र भरेगें।
17. परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन पत्र को सावधानी पूर्वक भरें अन्यथा परीक्षार्थी के परीक्षा आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलती जैसे- नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, नामांकन संख्या इत्यादि में यथासमय संशोधन करवाने पर रु. 100/- प्रति गलती परीक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर सुधार सम्भव होगा।
18. माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। सम्बन्धित प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
19. कोई भी अभ्यर्थी एक सत्र में नियमित/पूर्व छात्र/स्वयंपाठी के रूप में एक से अधिक परीक्षा में नियमानुसार प्रविष्ट नहीं हो सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी एक ही सत्र में दो अलग-अलग परीक्षाओं में प्रविष्ट होना पाया जाता है तो अभ्यर्थी की दोनों परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त करते हुए, नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। भविष्य में भी ऐसा पाये जाने पर विश्वविद्यालय के द्वारा दोनों ही परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
20. विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार में 2½ वर्ष से अधिक समय से निवास करने वाले स्वयंपाठी अभ्यर्थियों को तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र परीक्षा आवेदन पत्र में यथास्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना है।
21. महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा आवेदन पत्र जमा करवाने वाले अभ्यर्थी अपने परीक्षा आवेदन पत्र के साथ पूर्व की सभी सम्बन्धित परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की छाया प्रतियां परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने से पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक से मूल अंकतालिकाओं से सत्यापित करवाया जाना अनिवार्य है।
22. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान से उत्तीर्ण समस्त वर्षों की मूल अंकतालिकाओं को सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं केन्द्राधीक्षक द्वारा सत्यापन किया जाना है। किसी भी छात्र द्वारा मूल अंकतालिकाएं परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं की जानी हैं। प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक मूल अंकतालिकाओं को देखकर ही सत्यापित करना अनिवार्य है, इस स्थिति में समस्त जिम्मेदारी प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक की होगी।
23. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से किसी भी वर्ष में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा मूल अंकतालिकाओं को सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य एवं केन्द्राधीक्षक द्वारा सत्यापित प्रति परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी है, केवल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक मूल अंकतालिकाओं को देखकर ही सत्यापित करना अनिवार्य है, इस स्थिति में समस्त जिम्मेदारी प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक की होगी।
24. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्डों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परीक्षा आवेदन पत्र के साथ मूल अंकतालिकाएं एवं मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
25. कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों से स्नातक/स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी अपने परीक्षा आवेदन पत्र के साथ मूल अंकतालिकाएं एवं मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) संलग्न किया जाना अनिवार्य है। कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से उत्तीर्ण स्नातक/स्नातकोत्तर एवं अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को केवल अंकतालिकाओं की सत्यापित छायाप्रति ही संलग्न करनी है।
26. ऑनलाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी कोई समस्या होने पर छात्र हेल्पलाईन नं. 7414071294 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

परीक्षा नियंत्रक



कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा-324005

स्नातक परीक्षा हेतु आवश्यक निर्देश/नियम

1. अधिनियम-170-ए के अनुसार स्वयंपाठी छात्रों के लिए वही पाठ्यक्रम लागू होगा जो नियमित परीक्षार्थियों के लिये विद्यमान होगा, परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा स्कीम में समय-समय पर किया गया संशोधन भी लागू होगा।

अधिनियम-175 के अनुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में परीक्षा में बैठने हेतु अनुमति नहीं है:-चित्रकला, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, मनोविज्ञान, लाईव स्टॉक एवं डेयरिंग, लाईव स्टॉक एवं लेदर,

UG Course Subject Combination

Subject offered		Subject not allowed to be combined							
1		2							
Sub. Code		Sub. Code		Sub. Code		Sub. Code		Sub. Code	
5118	1. English Literature			5126	2. Persian				
5114	2. Hindi Literature			5124	2. Urdu	5127	3. Sindhi	5126	4. Persian
5116	3. Public Adm.			5126	2. Persian	5123	3. Music	5121	4. Drawing & Painting
5111	4. History	5137	1. Maths						
5115	5. Economics			5126	2. Persian	5123	3. Music	5121	4. Drawing & Painting
5112	6. Political Science	5137	1. Maths						
5113	7. Sociology			5126	2. Persian				
5119	8. Geography	5120	1. Philosophy	5123	2. Music				
5125	9. Psychology	5140	1. Live Stock & Diarying	5126	2. Persian	5121	3. Drawing & Painting	5145	4. Rajasthani
5124	10. Urdu	5114	1. Hindi	5117	2. Sanskrit	5127	3. Sindhi	5137	4. Maths
5117	11. Sanskrit	5124	1. Urdu						
5120	12. Philosophy	5119	1. Geography						
5148	13. Computer Appl.	5128	1. G.P.E.M.						

2. स्नातक नियमित/स्वयंपाठी छात्रों को अनिवार्य विषय सामान्य हिन्दी, सामान्य अंग्रेजी, प्रारम्भिक कम्प्यूटर तथा पर्यावरण अध्ययन एवं आपदा प्रबन्ध विषय को पाठ्यक्रम की अवधि में उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
3. स्नातक स्वयंपाठी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे परीक्षार्थी जो किसी ऐसे वैकल्पिक विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित विषय का प्रायोगिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र से लेना अनिवार्य है। प्रायोगिक प्रशिक्षण का निर्धारित शुल्क सम्बन्धित महाविद्यालय में जमा कराना होगा तथा प्राप्त प्रमाण-पत्र को प्रायोगिक परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर जमा करवाना होगा अन्यथा वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

4. अधिनियम-81-1(ए) के अनुसार स्वयंपाठी के रूप में पार्ट-। उत्तीर्ण छात्र यदि श्रेणी बदल कर नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देना चाहते हैं तो उनके लिए पार्ट-। में 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है।
5. विश्वविद्यालय अधिनियम-144 के अनुसार नियमित परीक्षार्थियों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
6. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में वैकल्पिक विषय के रूप में तीन साहित्य विषय तथा तीन प्रायोगिक विषय चयन करने का प्रावधान नहीं है।
7. स्नातक कला (नियमित/स्वयंपाठी) में हिन्दी साहित्य के साथ उर्दू एवं संस्कृत के साथ पारसी विषय का चयन नहीं कर सकते।
8. स्नातक कला (स्वयंपाठी) में पुरुष परीक्षार्थियों को गृह-विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करने की अनुमति नहीं है।
9. स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन विषय का चयन स्वयंपाठी परीक्षार्थी नहीं कर सकते हैं।
10. स्नातक नियमित/स्वयंपाठी परीक्षा में विश्वविद्यालय अधिनियम 153-बी के अनुसार पार्ट-।/।। में उत्तीर्ण परीक्षार्थी तीन वर्ष से अधिक अन्तराल के पश्चात् अगली कक्षा पार्ट-।।/।।। की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं उन्हें पुनः उसी कक्षा में सम्मिलित होना होगा, परन्तु पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय की परीक्षा से छूट मिलेगी।
11. श्रेणी/अंक सुधार-स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) पार्ट-।/।।/।।। उत्तीर्ण परीक्षार्थी अधिनियम-169-ई..... के अनुसार केवल उत्तीर्ण वर्ष से ठीक अगले वर्ष अंक/श्रेणी सुधार हेतु उन्हीं विषयों में तथा उस समय लागू सिलेबस के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। यह ध्यान रखें कि ऐसे परीक्षार्थियों को प्रायोगिक विषय (यदि हो) की परीक्षा पुनः देनी होगी।
12. अधिनियम-193-..... के अनुसार स्नातक (नियमित/स्वयंपाठी) में यदि कोई छात्र किसी पेपर की परीक्षा प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो छात्र के उस विषय में न्यूनतम अंक ही श्रेणी निर्धारण हेतु जोड़े जावेंगे।
13. पूर्व छात्र (Ex-Student) अधिनियम-164 के अनुसार ऐसे नियमित परीक्षार्थी जो सम्बन्धित कक्षा में अनुत्तीर्ण रहे थे, वे पुनः उसी कक्षा की पूर्व छात्र (Ex-Student) के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होंगे, उन्हें प्रायोगिक विषयों की पुनः परीक्षा देने से छूट मिलेगी। सभी पूर्व छात्रों के परीक्षा फार्म उसी महाविद्यालय में जमा होंगे जहां के वे नियमित परीक्षार्थी रहे थे।
14. अधिनियम-182 के अनुसार परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के उपरान्त लौटाया नहीं जायेगा।
15. अधिनियम 168-ए एवं बी के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में दो डिग्रीयों की परीक्षा नहीं दे सकते हैं अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाएँ निरस्त करने का प्रावधान है। भविष्य में भी ऐसा पाये जाने पर विश्वविद्यालय के द्वारा दोनों ही परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. बी.ए./बी.एससी. एडिशनल परीक्षा में कोटा विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समकक्ष विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल एक ऐसे विषय में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिसका चयन स्नातक उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो। उन्हें एडीशनल विषय के पार्ट-।/।। एवं ।।। के सभी विषय वर्तमान सिलेबस के अनुसार एक ही वर्ष में उत्तीर्ण करने होंगे।

स्नातकोत्तर परीक्षा हेतु नियम

1. एम.ए./एम.एससी. (वार्षिक पद्धति) गणित विषय में भी विद्यार्थी स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा फार्म भर सकते हैं। बी.टेक. उत्तीर्ण छात्र एम.ए./एम.एससी./मेथेमेटिक्स के लिए आवेदन पत्र नहीं भरें।
2. श्रेणी/अंक सुधार हेतु स्नातकोत्तर (वार्षिक पद्धति) परीक्षार्थियों के लिये प्रावधान:-

i.	विश्वविद्यालय अधिनियम 169-ई (i) के तहत स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) परीक्षा-2020 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो श्रेणी/अंक सुधार हेतु परीक्षा-2021 में सम्मिलित हो सकते हैं उन्हें (विज्ञान विषय में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्र सहित) सभी प्रश्नपत्रों में परीक्षा देनी होगी।
ii.	विश्वविद्यालय अधिनियम 169-ई (ii) - स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध (वार्षिक पद्धति) परीक्षा-2020 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी, एक या अधिकतम दो प्रश्न-पत्र में अंक सुधार हेतु परीक्षा-2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं।
iii.	विश्वविद्यालय अधिनियम 169-डी - विश्वविद्यालय से पिछले वर्षों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण विद्यार्थी, पूर्वार्द्ध और उत्तरार्द्ध के सभी विषयों (विज्ञान विषय में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्र सहित) में एक साथ श्रेणी सुधार हेतु वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हीं विषयों में इस अधिनियम के तहत परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
iv.	विश्वविद्यालय अधिनियम 179-कोटा विश्वविद्यालय के अलावा सभी मान्य विश्वविद्यालय से पिछले वर्षों में एम.ए./एम.कॉम. में उत्तीर्ण विद्यार्थी उन्हीं विषयों में वर्तमान पाठ्यक्रमानुसार इस अधिनियम के तहत प्रीवियस और फाईनल के सभी विषयों में एक साथ परीक्षा में स्वयंपाठी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं।
v.	एम.ए./एम.एससी. के नियमित परीक्षार्थी को पूर्ण अनुत्तीर्ण रहने पर पूर्व छात्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे परीक्षार्थी को सभी सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रश्न-पत्रों में पुनः प्रविष्टि हेतु आवेदन करना होगा।

परीक्षा नियंत्रक